12-11-16

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।


राज्य द्वारा एडीपीओउप0

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कांकर

फरियादी रघुवीर एवं आहत बंटी उर्फ विनोद उप0 फरियादी एवं आहत की पहचानं अधि0श्री प्रवीण गुप्ता द्व ारा की गई।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा द०प्र०स०की धारा320 2 के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई। फरियादी रघुवीर द्वाराद०प्र०स० की धारा 3204 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मृत पूनाबाई की ओर से प्रकरण मे राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।

सर्वप्रथम द०प्र०स०की धारा320 4 के आवेदन पर विचार किया गया। यह उल्लेखनीय हैिक प्रकरण में आहत पूनाबाई की मृत्यु हो चुकी है। फरियादी रघवीर आहत पूनाबाई का पुत्र है एवं पूनाबाई का विधिक प्रतिनिधि होकर उसकी ओर से राजीनामा करने के लिये सक्षम है। अतः रघुवीर द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकारिकया गया तथा फरियादी रघुवीर को मृत पूनाबाई की ओरसे भी प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई।



तत्पश्चात राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण को अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैिक आरोपीगण के विरूद्धभादस की धारा 294,323 दो शीर्ष,323/34 एवं 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये है। आरोपीगण पर आरोपित अपराधन्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य है फरियादी रघुवीर एवं आहत बंटी ने आरोपीगण से स्वेचछयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतःवाद विचार राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी हीरालाल,रामराज,श्रीलाल,एवं भारत सिंह को भादस की धारा 294,323 दो शीर्ष ,323/34 एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके

जमानत मुचलके भारहीन किये जाते है।।

प्रकरण में जप्तशुदा लोहे का हिसया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोड तोड करनष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण

अमिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क024 गोहद